

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 20.06.2022

### शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-17 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

#### 01. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. अमर सिंह पुत्र रामबहादुर सिंह नि० मलौना थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं- 246/22 धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 02. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. मनोज सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम सदियापुर बालपुर थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं- 193/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 03. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. कालूराम शुक्ला पुत्र रामरंग शुक्ला निवासी ग्राम उमरिया थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं- 120/22 धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 20-06-2022**

**अवैध तमंचे के साथ -अभियुक्त को किया गिरफ्तार 01**

अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षकथानाध्यक्षो को दिये थे।/

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थानाकरनैलगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त गंगाप्रसाद पासी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अदद अवैध तमंचा 01 315 बोर मय अदद जिंदा कारतूस 01 बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना करनैलगंज में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

.01गंगाप्रसाद पासी पुत्र मेवालाल नि0 ग्राम कस्तूरी थाना कोकरनैलगंज जनपद गोण्डा। 0

**पंजीकृत अभियोग-**

.01मु-0सं0अ024522/, धारा करनैलगंज जनपद गोण्डा। 0आर्म्स एक्ट थाना को 25/3

**बरामदगी-**

अदद अवैध तमंचा 01 .01315 बोर मय अदद 01जिन्दा कारतूस।

**गिरफ्तार कर्ता-**

उ 0नि0मनीष कुमार मय टीमा।

**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 20-06-2022**

**अवैध तमंचे के साथ -अभियुक्त को किया गिरफ्तार 01**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद केसमस्त प्रभारी निरीक्षकथानाध्यक्षो को दिये थे।/

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थानाकोतवाली देहात पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त पट्टर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अदद अवैध तमंचा 0112 बोर मय अदद जिंदा कारतूस बरामद 01 किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

.01पट्टर पुत्र स्व0 मोहिदीन निवासी टिकरिया थाना को0देहात जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

.01मु-0सं0अ022622/, धारा 0आर्म्स एक्ट थाना को 25/3देहात जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

अदद अवैध तमंचा 01 .0112 बोर मय अदद 01जिन्दा कारतूसा।

**गिरफ्तार कर्ता-**

उ 0नि0विनय कुमार पाण्डेय मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 20.06.2022**

**बलवा कर जानलेवा हमला करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस ने मु0अ0सं0-77/2022, धारा 147, 148, 149, 323, 325, 504, 506, 427, 307 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त को मुखबिर खास की सूचना पर करनपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 09.03.2022 को थाना छपिया क्षेत्र के अन्तर्गत 02 पक्षों में पेड उखाडने के विवाद को लेकर झगड़ा व मारपीट हुई थी। जिसमें एक पक्ष द्वारा जानलेवा हमला करते हुए धारदार हथियार से घायल किया गया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. विपुल पाण्डेय पुत्र स्व0 ध्रुवराज पाण्डेय निवासी ग्राम चांदारती थाना छपिया जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0-77/22, धारा 147, 148, 149, 323, 325, 504, 506, 427, 307 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

उ0नि0 अंकुर वर्मा मय

प्रेस नोट  
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा  
दिनांक 20.06.2022

## दहेज हत्या के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने दहेज हत्या के 02 वांछित अभियुक्तों- 01. वंशराज सिंह 02. नीलम सिंह उर्फ शान्ति देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तों ने दिनांक 19.06.2022 को वादी की लड़की को दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित करते हुए मार पीट कर जान से मार दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना उमरीबेगमगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

### गिरफ्तार अभियुक्तगणी-

01. वंशराज सिंह पुत्र स्व० सीताराम सिंह नि० अमौठी थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
02. नीलम सिंह उर्फ शान्ति देवी पत्नी वंशराज सिंह नि० अमौठी थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

### पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-106/22, धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डी०पी० ऐक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

### गिरफ्तार कर्ता-

01. उ०नि० कमलेश पाण्डेय मय टीमा।